न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकर 08/2025

बउनवान

जोधर आयु 55 साल पुत्र श्री भेरूलाल जाति पांचाल लुहार निवासी ग्राम व पोस्ट भटवाड़ा तहसी जिला बारां (राजस्थान) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भटवाडा (राजस्थान) तहसी जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थ जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपी धारा 22 राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1 गी निर्णय दिनांक 15.04.2024 विभागीय प्रकरण संख्या 3/2023 जिला रसद अधिकारी बारां

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

<u>निर्णय दिनांक– 03.03.2025</u>

1– लांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट पाश कोड 8524 उचित कानदार ग्राम पंचायत भटवाडा प्रथम तहसील मांगरोल जिला बारां का प्राधिकार पत्र संख्या का 15.04.2024 को आदेश व निर्णय पारित कर निरस्त कर दिया एवं समस्त प्रतिभूति सरकार करने का अवशेष स्टाक नही संभलाया जाता है तो पी०डी०आर० एक्ट के तहत व करण जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया, जिससे असतुंष्ट नीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत हैं। निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध गत नही होने से निरस्त किये जानें योग्य है। क्योकि अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय ांट की अनुपस्थिति में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अपीलांट द्वारा ज करना नही बताया। दूसरी ओर रिकार्ड में दिनांक 08.04.2024 को अपीलांट द्वारा लाईसेंस ने का बिना हस्ताक्षर का प्रार्थना–पत्र शामिल है तथा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का कार स्तुत नहीं करना अटेच डीलर को गेंहू NFSA 36791 कि० ग्राम नही संभलाने के कारण नियमितता कर गेहूँ का दुरूपयोग किया जाना माना है, जो कि विरोधाभासी होने से निर्णय ये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण 3 मैं दिनांक 15–04–2024 को पारित आदेश व निर्णय को निरस्त कर अपीलांट के लाईसे /2006 को ब

2– पर प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभि किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विब क अपीलांट व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3— दौराने बहस पेरोकार रसद उपस्थित नहीं होने के कारण हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत करना नही बताया। दूसरी ओर रिकार्ड में दिनांक 08.04.2024 को अपीलांट द्वारा लाईसेंस बहाल करने का बिना हस्ताक्षर का प्रार्थना—पत्र शामिल है तथा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का कारण जवाब प्रस्तुत नहीं करना अटेच डीलर को गेहूँ NFSA 36791 कि० ग्राम नही संभलाने के कारण वितरण में अनियमितता कर गेहूँ का दुरूपयोग किया जाना माना है, जो कि विरोधाभासी होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है नितान्त असत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने जवाब भी पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:27 IST
Reason: SelfAttested